कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर)जालोर

मोवनी कुमारी पुत्री
टीकारामजी सुथार
पीपली चौक
भीनमाल 343029

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी
उपखंड अधिकारी,भीनमाल

प्रकरण संख्या **33/2017**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

....

उपस्थिति:-
प्रार्थी की ओर से कोई नहीं ।
प्रत्यर्थी की की ओर से कोई नहीं ।

आदेश दिनांक 25.10.2017

आदेश

दिनांक:-25.10.2017

1. उक्त अपील अपीलार्थी मोवनी कुमारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, भीनमाल द्वारा कतिपय सूचनाए प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 द्वारा चाही गई सूचनाएं / आवेदन पर विनिश्चयन प्राप्त नहीं होने पर धारा 19 (1) में प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस बात की जानकारी होते हुये भी कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पद धारण करने वाले अधिकारियो को उनके पद नाम से पदेन राज्य लोक सूचना अधिकारी घोषित किया गया है। इसी कम में अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी पदेन उपखंड अधिकारी भीनमाल के नाम से ही प्रस्तुत किया गया है, किन्तु सूचना आवेदन पत्र पर विनिश्चियन विहित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर प्रस्तुत अपील श्री दौलतराम चौधरी के व्यक्तिगत नाम से प्रस्तुत की गई है जो सही नहीं है। अत: उक्त अपील का उनवान उपर अंकित अनुसार मोवनी कुमारी (अपीलार्थी) बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी भीनमाल किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा धारा 19 (1) के अन्तगत प्रस्तुत अपील में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओ का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है:-

2.1... *यह है कि अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल भीनमाल ने पत्रांक/ न.पा. भी./17/2929/17 दिनांक 16.08.2017 के जरिए अपीलार्थी को अवगत कराया गया था कि ''आप द्वारा नगर पालिका भीनामल के प्रशासनिक समिति की बैठक संख्या 5 दिनांक 12.09. 2001 के प्रस्तावो के नकल चाही गई है। उक्त रेकर्ड उपखंड अधिकारी महोदय भीनमाल द्वारा सुनवाई हेतु मांगे जाने पर रेकर्ड भेजा गया था। जो पुन: इस कार्यालय को प्राप्त नही होने से सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नही है।''*

2.2. *यह है कि उपरोक्त वर्णित सूचना नगरपालिका भीनमाल के प्रशासनिक समिति की बैठक संख्या 5 दिनांक 12.09.2001 के प्रस्तावो की ''प्रमाणित प्रतिलिपि'' अभिप्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित आवेदन फीस के पेटे दस रूपये का भारतीय पोस्टल आंर्डर संख्या 35 एफ 848866 के साथ संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 को रजिस्टर्ड डाक संख्या RR 888725281IN दिनांक 21.8.2017 के जरिए उक्त प्रत्यर्थी पक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।*

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर), जालोर

बिन्दु संख्या 2.1 व 2.2 के कम में अंकित तथ्यात्मक विवरण है एवं इसकी पुष्टि में प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017, पोस्टल आर्डर के अधपन्ने एवं रजिस्ट्री रसीद भी प्रस्तुत की गई है। अतः सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि होती है।

2.3..... *यह है कि भारतीय डाक विभाग की वेबासाइट* https//www.indiapost.gov.in/ पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपरोक्त वर्णित रजिस्टर्ड डाक संख्या RR 888725281IN *दिनांक 21.8.2017 उक्त प्रत्यर्थी पक्ष को दिनांक 22.08.2017 को प्राप्त हुआ है। जबकि उक्त प्रत्यर्थी पक्ष अपने पत्रांक रा.सू.अ.अ/17/3847 दिनांक 05.09.2017 में उक्त रजिस्टर्ड डाक संख्या दिनांक 21.8.2017 उसे प्राप्त होने की दिनांक 28.08.2017 बताई गई है, यानि छः दिन तक उक्त रजिस्टर्ड डाक संख्या RR 888725281IN दिनांक 21.08.2017 किस अधिकारी / कर्मचारी के कब्जे में रही, इसकी जांच करे ओर दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही करे। ताकि भविष्य में प्रकार की पुनावर्ति* (Repetition) ना हो।

प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना का आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2017 को डिलीवर होना पुष्ट है किन्तु उसके उपरांत उसे डाक में संग्रहित कर पीठासीन अधिकारी के समक्ष मार्किंग उपरांत प्राप्ति पंजिका में दर्ज होकर कमांक व दिनांक आंवटित होता है। जो इस प्रकरण में दिनांक 28.08.2017 होना जाहिर है। ऐसे प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी को '' छः दिन तक उक्त रजिस्टर्ड डाक संख्या RR 888725281IN दिनांक 21.08.2017 किस अधिकारी / कर्मचारी के कब्जे में रही, इसकी जांच करे ओर दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही करे '' निर्देशित किया जाना न तो समीचीन है न ही अपेक्षित। ऐसे निर्देश दिया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप भी नहीं है। चूंकि आवेदन पत्र प्राप्त होकर कार्यवाही की जा चुकी है अतः अन्य कोई विनिश्चयन इस बिन्दु पर अपेक्षित नहीं होने से इस बिन्दु पर अपील खारिज की जाती है।

2.4... *यह है कि उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (3)के अनुसरण में उपखंड अधिकारी भीनमाल ने पंत्राक /रा.सू.अ.अ / 17/ 3746-47 दिनांक 05.09.2017 के जरिए अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को पांच दिन के पश्चात स्थानांतरित* (Transfer) *किया गया है। ऐसी दशा में उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 में चाही गई कतिपय सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व प्रत्यर्थी पक्ष ने अपने उपर ओढ लिया है। इस संबंध में राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किये है।*

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन नियमानुसार अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीनमाल को स्थानान्तरित किया जा चुका है। अतः अन्य विवेचन अवांछित है एवं इस बिन्दु पर अपील खारिज योग्य है।

2.4.(1).... *सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 की उप धारा (3)के अन्तर्गत द्वितीय अपील संख्या 2135/2016 अनवान मोवनी कुमारी बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राज.जयपुर मे पारित निर्णय दिनांक 11.05.2016 के बिन्दु संख्या 5 में श्री सुरेश चौधरी मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान सूचना आयोग ने अभिव्यक्त किया है कि '' पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अभी तक वांछित सूचना से वंचित है। सूचना के आवेदन का अंतरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत प्रावधित समय सीमा में नहीं किया गया है। अतः यह प्रत्यर्थी की जिम्मेदारी है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना संबंधित से प्राप्त कर उपलब्ध करावे। ''*

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर), जालोर

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अने लिखित जवाब दिनांक 16.10.2017 में कथित किया गया है कि " यह है कि अपील के इस बिन्दु में वांछित रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को इस कार्यालय के पत्रांक 3846 दिनांक 05.09.2017 से लिखे जाने पर अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका द्वारा अपीलार्थी को लिखा गया कि वांछित रेकर्ड उपखंड अधिकारी भीनमाल द्वारा चाहे जाने पर सुनवाई हेतु उपखंड कार्यालय में भिजवाया जाना बताया है। परंतु नगर पालिका भीनमाल द्वारा इस कार्यालय में उक्त अभिलेख भेजने के संबध में पत्रांक व दिनांक का विवरण नहीं बताये जाने पर सूचना उपलब्ध करवाया जा संभव नहीं है। इस संबध में नगर पालिका भीनमाल को पत्रांक, दिनांक आदि का विवरण उपलब्ध करवाये जाने इस कार्यालय द्वारा लिखा गया है, पत्रांक व दिनांक आदि का विवरण उपलब्ध करवाये जाने पर ही सूचना उपलब्ध करवाई जा सकेगी।" अतः उक्त सूचना उनके पास उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं हो पाने से नहीं दी गई है। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2017 को प्राप्त आवेदन को दिनांक 05.09.2017 को अंतरित किया जा चुका है।

2.4.(2). सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 की उप धारा (3)के अन्तर्गत द्वितीय अपील संख्या 1247/2013 अनवान श्री ललित कुमार व्यास बनाम लोक सूचना अधिकारी,प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2017 के बिन्दु संख्या 6 में श्री टी. श्रीनिवासन मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग द्वारा यह अभिव्यक्त किया है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) में विहित 5 दिवस की समयावधि में नहीं किए जाने से प्रत्यर्थी का यह दायित्व था कि वे संबंधित से सूचना प्राप्त कर स्वंय प्रमाणित कर अपीलार्थी को अवगत कराते।"

प्रार्थी द्वारा उल्लेखित निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया गया। उल्लेखित प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.06.12 को सूचना का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा 04.07.12 को स्थानान्तरित किया गया था एवं 18.11.12 तक भी सूचना स्थानान्तरिति अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गई थी । इस निर्णय अधीन प्रकरण के तथ्य प्रार्थी के प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होता है । प्रत्यर्थी द्वारा अधिशाषी अधिकारी को भी विवरण भेजने हेतु लिखा है ताकि उस विवरण के आधार पर वर्ष 2001 का सबंधित रेकर्ड ढूंढा जा सके।

2.4.(3).. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 की उप धारा (3)के अन्तर्गत द्वितीय अपील संख्या 1219/2013 अनवान अनिल सिंह शेखावत बनाम लोक सूचना अधिकारी, उप सचिव, स्वायत शासन एवं नगरीय विकास विभाग जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2015 के बिन्दु सख्या 6 में श्री निवासन मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग ने यह अभिव्यक्त किया है कि " पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन का अतंरण अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) में प्रावधित समय सीमा में नही किया गया है। अत: अब प्रत्यर्थी को स्वंय की जिम्मेदारी बन गई है,कि वे संबंधित विभाग से सूचना मंगवाकर आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को नि:शुल्क जरिये पंजीकृत डाक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। "

प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 05.09.2017 को प्रार्थी का आवेदन अधिशाषी अधिकारी को स्थानान्तरित किया जा चुका है एवं उन्ही के द्वारा उक्त आवेदन का निस्तारण कर सूचना प्रदाय किया जाना अपेक्षित है।

2.5.... यह है कि अपील के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 का अन्तरण (Transfer) सूचना का

प्रथम अपीलीय अधिकारी

अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नही किया गया है, इसलिये राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पूर्व में पारित निर्णयो के अनुसार उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 में चाही गई कतिपय सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व उक्त प्रत्यर्थी पक्ष का है। यानि उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2017 में चाही गई कतिपय सूचना को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मंडल भीनमाल से प्राप्त करके अपीलार्थी को उपलब्ध कराने दायित्व उक्त प्रत्यर्थी पक्ष का है।

प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना का आवेदन विलंब से हस्तान्तरित किया गया है, जिसके लिए उन्हे भविष्य में सतर्क रह कर समय पर हस्तान्तरण हेतु निर्देशित किया जाता है।

अत: उपरोक्त बिन्दुवार विवेचन अनुसार प्रार्थिनी की अपील अस्वीकार की जाती है। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(एल.एन.सोनी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर